"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 — फाल्गुन 29, शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 (फाल्गुन 29, 1944)

क्रमांक–3617/वि.स./विधान/2023.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) जो सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक,2023

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

धारा 4–क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 4–क में, शब्द ''सदस्य'' के पश्चात्, शब्द ''तथा भूतपूर्व सदस्य'' अंतःस्थापित किया जाये ।

धारा 4–ख का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4–ख में, शब्द ''सदस्य'' के पश्चात्, शब्द ''तथा भूतपूर्व सदस्य'' अंतःस्थापित किया जाये ।

4. मूल अधिनियम की धारा 6–क की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 6–क का संशोधन.

"परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, 05 वर्ष से अधिक कालावधि के लिए पूर्वोक्त रुप से कार्य किया हो, वहां उसे 05 वर्ष से ऊपर प्रत्येक वर्ष के लिए रुपये 1,000/– प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी ।"

5. मूल अधिनियम की अनुसूची के सरल कमांक 3, 4, 6, 7 तथा 8 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– अनुसूची का संशोधन.

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	धारा 4–क	सदस्य एवं भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता	रुपये 10,000/– प्रतिमास
4.	धारा 4–ख	प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भत्ता	रुपये 15,000/– प्रतिमास
6.	धारा 5–क(1)	सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रुपये 10,00,000/– प्रतिवर्ष
7.	धारा 5–क(2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित	रुपये 5,00,000/– प्रतिवर्ष
8.	धारा 6–क(1)	पेंशन	रुपये 58,300 प्रतिमास"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 4–क, 4–ख, 6–क (1) एवं अनुसूची में संशोधन करना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रविन्द्र चौबे
संसदीय कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 16 मार्च, 2023

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 में प्रस्तावित संशोधन अनुसार **पेंशन** राशि रूपये 35,000/– प्रतिमास को बढ़ाकर रूपये 58,300/– प्रतिमास किये जाने, अतिरिक्त पेंशन राशि के स्थान पर "**परंतु जहां किसी व्यक्ति ने, 05 वर्ष से अधिक की कालावधि, चाहे वह कालावधि कितनी ही वर्ष की हो, प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1000/– प्रतिमास के हिसाब से**" वृद्धि किये जाने पर, भूतपूर्व सदस्यों हेतु टेलीफोन भत्ता राशि रूपये **10,000/–** प्रतिमास एवं अर्दली भत्ता राशि रूपये **15,000/–** दिये जाने तथा सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित, प्रतिवर्ष राशि रूपये 8,00,000/– से बढ़ाकर **रूपये 10,00,000/–** किये जाने तथा भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित, प्रतिवर्ष राशि रूपये 4,00,000/– से बढ़ाकर रूपये **5,00,000/–** किये जाने से राज्य शासन पर प्रतिवर्ष कुल राशि रूपये **16,96,00,000/– (सोलह करोड़, छियानवे लाख)** का अतिरिक्त अनुमानित वित्तीय भार आएगा।

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 4–क, ख एवं धारा –5 क (1) एवं (2) तथा धारा 6– क (1) तथा अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :

धारा 4–क प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन भत्ते के रूप में ''अनूसूची में विनिर्दिष्ट राशि दी जायेगी'' चाहे उसके निवास स्थान पर टेलीफोन हो या न हो.

धारा 4–ख प्रत्येक सदस्य को ''अनुसूची में विनिर्दिष्ट'' प्रतिमाह की दर से अर्दली भत्ता दिया जायेगा.

धारा 5–क (1) प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के लिए एक वित्तीय वर्ष में ''रूपये आठ लाख'' किराये की सीमा तक निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा. ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाय, रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जाएंगे.

''(दो) '' परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ इस शर्त के अधीन यात्रा कर सकेगा, कि रेल एवं हवाई यात्राओं पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रूपये आठ लाख से अधिक का नहीं होगा.''

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा, परंतु यह और कि समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं इस उपधारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी.

''2 धारा 6–क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु ''चार लाख'' मूल्य के कूपन की पात्रता होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति ऐसे कूपन की चार लाख की सीमा में ही हवाई यात्रा करने के भी हकदार होंगे.''

धारा 6–क (1) "प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पांच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न हो, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, "पैंतीस हजार" रूपये प्रतिमास पेंशन दी जाएगी :

"परंतु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप से कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सौ" रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी" :

और यह भी कि यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पूर्वोक्त रूप में किया हो, तो उसे दस वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए चार सौ रूपये प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी और यदि किसी व्यक्ति ने पन्द्रह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे पन्द्रह वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी"

परन्तु यह और भी कि जहां कोई सदस्य विधान सभा के विघटन के कारण अथवा त्याग पत्र के कारण पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने से निवारित रहा हो या जहां कोई सदस्य उप–निर्वाचन में "या लोकसभा/राज्यसभा का सदस्य" निर्वाचित होने के कारण पांच वर्ष तक कार्य नहीं कर सका हो, वहां उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पांच वर्ष की कालावधि तक सदस्य के रूप में कार्य किया है किन्तु यह धारणा उपबंध (डीमिंग प्राविजन) अतिरिक्त पेंशन उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगा.

स्पष्टीकरण – इस उप धारा के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 की संख्यांक 37) की धारा 28 में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा का सदस्य बन गया था.

"अनुसूची

{धारा 2 (घ) देखिये}

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 20,000/– प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रूपये 55,000/– प्रतिमास"
3.	धारा 4–क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 10,000/–प्रतिमास
4.	धारा 4–ख	अर्दली भता	रूपये 15,000/– प्रतिमास"
5.	धारा 4–ग	(एक) दैनिक भत्ता	(एक) रुपये 2,000 प्रतिदिन
		(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता	(दो) रूपये 1,000/–प्रतिदिन
6	धारा 5–क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित	रूपये 8,00,000/– प्रतिवर्ष
7	धारा 5–क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित	रूपये 4,00,000/– प्रतिवर्ष
8.	धारा 6–क (1)	पेंशन	रुपये 35,000/– प्रतिमास
8 क.	धारा 6–ख	किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी।	रूपये 25,000/– प्रतिमास
9	धारा–6 ग	भूतपूर्व सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता	रूपये 15,000/– प्रतिमास
10	धारा– 7 (1)	सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता	रूपये 15,000/– प्रतिमास"

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.